

॥ अधिसूचना ॥

एस0ओ0

पटना, दिनांक

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, श्री रामबालक महतो, वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पदभार ग्रहण की तिथि से महाधिवक्ता, बिहार के पद पर नियुक्त करते हैं।

(संचिका सं0-सी0/ई0एच0-9/92(खंड)...../जे0)

बिहार राज्यपाल के आदेश से



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-सी0/ई0एच0-9/92(खंड)...../जे0 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 (सॉफ्ट कॉपी) के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त अधिसूचना बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-सी0/ई0एच0-9/92(खंड)...../जे0 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार/श्री रामबालक महतो, वरीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद, सचिवालय/सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, लोकायुक्त कार्यालय पटना/महालेखाकार, बिहार, वीचन्द पटेल पथ, पटना/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष एवं कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-सी0/ई0एच0-9/92(खंड)...../जे0 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-श्री बिनोद कुमार कंठ, तत्कालीन महाधिवक्ता, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।




(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञाप संख्या-सी0/ई0एच0-9/92(खंड)...../जे0 पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।



(अखिलेश कुमार जैन)

सरकार के सचिव, बिहार।